

दवा परीक्षणों की कड़ी निगरानी करेगी सरकार

परीक्षणों में हिस्सा लेने वालों की सुरक्षा, नई दवाओं की मंजूरी के लिए सलाहकार समितियां

नई दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा)। दवा परीक्षणों पर निगरानी रखने के तंत्र को मजबूत बनाने और इन परीक्षणों में भाग लेने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि ऐसे परीक्षणों और नई दवाओं को मंजूरी देने के संबंध में 12 नई दवा सलाहकार समितियां बनाई गई हैं।

राज्यसभा में गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने एक बयान में कहा कि दवा परीक्षणों और नई दवाओं को मंजूरी से संबंधित मामलों में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को सलाह देने के लिए देश भर के सरकारी मेडिकल कालेजों और संस्थानों के विशेषज्ञों वाली 12 दवा सलाहकार समितियां बनाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि इन परीक्षणों से संबंधित चोट या मृत्यु होने पर प्रभावित लोगों या उनके द्वारा नामांकित लोगों को मुआवजे के भुगतान के लिए नियमों में विशेष उपबंध

शामिल करने का प्रस्ताव है। उन्होंने दवा परीक्षणों के दौरान हो रही मौतों से संबंधित लोक महत्व के विषय पर माकपा के पी राजीव की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने बयान में कहा कि नई दवाओं के दवा परीक्षण के लिए प्रत्येक मंजूरी में शर्त रखी गई है कि अध्ययन संबंधी चोट या मृत्यु के मामले में, आवेदक को पूर्ण इलाज के लिए या मृत्यु होने पर मुआवजा मिलेगा और यह विवरण सहमति पत्र में शामिल किया जाएगा।

बंदोपाध्याय ने कहा कि सहमति पत्र में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि परीक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेने के लिए उसकी योग्यता, व्यवसाय, वार्षिक आय, पता और उसके उत्तराधिकारी का ब्योरा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि परीक्षण के दौरान प्रतिकूल घटना या मौत होने के 24 घंटे के भीतर भारत के औषध महानियंत्रक और प्रायोजक कंपनी और आचार समिति को दिए

जाने का भी प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने बताया कि 2010 के दौरान दवा परीक्षणों के दौरान मौत के 668 मामले सामने आए थे। जबकि 2011 में 438 और 2012 में जून तक 211 मामले थे। 2010 में इन परीक्षणों के कारण मौत के 22 और 2011 में 16 मामले थे। दवा परीक्षणों के दौरान हो रही मौतों के मुद्दे पर पी राजीव की ओर से सरकार का ध्यान खींचे जाने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने अपना बयान पटल पर रखा लेकिन हंगामे के कारण रपट्टीकरण नहीं पूछे जा सके।

जेनरिक दवाएं: सरकार ने बताया कि आयातित दवाइयों की लागत में वृद्धि के कारण जेनरिक दवाइयां महंगी होती जा रही हैं, हालांकि औषधि विभाग ने इस पर कोई अध्ययन नहीं कराया है। लोकसभा में हंसराज अहीर के एक सवाल के लिखित जवाब में रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने कहा कि दवाइयों के

मूल्य के संबंध में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का दाखिल है कि वह औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे। उन्होंने कहा कि आयातित दवाइयों की लागत में वृद्धि के कारण महंगी होती जा रही जेनरिक दवाइयों पर औषधि विभाग ने कोई अध्ययन नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी, कमी का पता लगाने और उपचार करने का दाखिल सौंपा गया है।

मंत्री ने कहा कि औषधि विभाग ने 'जन औषधि अभियान' की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सभी के लिए वाजिब मूल्यों पर दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत कम मूल्य और गैर बांड वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2012 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में 122 जन औषधि विक्री केंद्र खोले गए हैं।